राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4)राज/वाद/88 जयपुर,दिनांकः 22-1-2014

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्‌भूत राजस्थान राज्य के सभी प्रकरणों की पैरवी करने एंव प्रस्तुत करने के लिए श्री शिव मंगल शर्मा, अधिवक्ता को श्री जसवीर सिंह मलिक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली के त्याग पत्र से रिक्त हुए पद पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगीं:–

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता को रू0 22,400/– (अक्षरे बाईस हजार चार सौ रूपये) प्रतिमाह रिटेनरशिप देय होगी।
2. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार वादकरण के मामलों हेतु उनके द्वारा उपगत सभी अनुशंगिक व्यय का नियमानुसार पुनर्भरण प्राप्त करने की अधिकारी होगे।
3. उन्हे मासिक प्रतिधारण (रिटेनरशिप)के अलावा राजकीय वादकरण के प्रकरणों में पैरवी करने /प्रस्तुतीकरण एंव बहस आदि की फीस तथा प्रारूपण फीस उच्चतम न्यायालय नियम, 1966, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसार देय होगी।
4. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समय–समय पर राज्य सरकार के विरूद्व लगने वाले मामलों की तथा जारी होने वाले आदेशों की सूचना तत्काल राज्य सरकार को देगें।
5. वे समय–समय पर उन्हे दी गई अग्रिम धनराशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होगें।
6. वे निम्नलिखित कार्यो/बातों के लिये विवर्जित (Debar) होगें:–
   (क) राजस्थान राज्य के विरूद्व सलाह देने अथवा मुकदमा लेने से,
   (ख) राजस्थान राज्य के फौजदारी मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा करने में, एंव
   (ग) निजी पक्षकारों को / पार्टियों को उन मामलों में, जिनमें उनके राजस्थान राज्य की और से उपस्थिति होने की सम्भावना हो, सलाह देने से।
7. वे ऐसे आदेशों से भी बाध्य होगें, जो समय–समय पर उनकी नियुक्ति के संबंध में जारी किये जावें।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता को टेलीफोन सुविधा अन्य अतिरिक्त महाधिवक्ता को प्रदत्तानुसार देय होगी।

Receipt No. 119
Date 29-1-14

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

लगातार..........

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव एंव विशिष्ठ शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/सचिव राज0 विधान सभा, जयपुर/सचिव, लोकायुक्त, जयपुर/ निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
5. समस्त जिला एंव सैशन न्यायाधीश, राजस्थान।
6. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर/महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
7. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता,जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
9. संबंधित अभिभाषक।
10. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
12. रजिस्ट्रार जनरल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/रजिस्ट्रार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ/विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
14. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
16. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर एंव समस्त अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
17. समस्त गवर्नमेन्ट काउन्सिल/एडि0 गवर्नमेन्ट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
18. आहरण एंव वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वादकरण, जयपुर।
19. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

22/1/17

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 09(04)राज/वाद/88 जयपुर,दिनांकः 22-1-2014

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उदभूत राजस्थान राज्य की ओर से सभी प्रकरणों को प्रस्तुत करने एंव पैरवी करने हेतु श्री जयंत भट्ट, एडवोकेट को पैनल लॉयर के पद पर तत्काल प्रभाव से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है। इन्हे फीस का संदाय उच्चतम न्यायालय के नियम 1966 व एसोसियेट एडवोकेट्स को देय फीस के अनुसार किया जावेगा:–

इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी:–

1. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों एंव आदेशों के अधीन होगी तथा इनकी सेवायें किसी भी समय बिना नोटिस दिये व बिना कारण बताये इस विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
2. उपरोक्त पैनल अभिभाषक माननीय उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली/उच्च न्यायालय, दिल्ली व दिल्ली स्थित अन्य न्यायालयों, अधिकरण /प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान राज्य के विरूद्ध किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत करने व पैरवी करने के लिए अधिकृत नहीं होगें।
3. वे राजस्थान राज्य के विरूद्ध किसी भी मामलें में किसी भी प्रकार का परामर्श देने के लिए वर्जित होगें।
4. उन्हे विधि विभाग द्वारा प्रकरणों का आवंटन किया जावेगा।

आज्ञा से,

ह०

(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव एंव विशिष्ठ शासन सचिव।

.....लगातार

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्थान जयपुर
Receipt No. 119
Date 23-1-14

4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/सचिव राज0 विधान सभा, जयपुर/सचिव, लोकायुक्त, जयपुर/ निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
5. समस्त जिला एंव सैशन न्यायाधीश, राजस्थान।
6. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर/महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
7. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता,जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम, नई दिल्ली।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ/विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
12. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर एंव समस्त अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
15. समस्त गवर्नमेन्ट काउन्सिल/एडि0 गवर्नमेन्ट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
16. आहरण एंव वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वादकरण, जयपुर।
17. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. संबंधित एडवोकेट।
19. रक्षित पत्रावली।

22/1/14

(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि